कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद गाजियाबाद

<u>टेन्डर सूचना</u> दिनांक 06.03.2019

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के अधीन संचालित होने वाले लीगल एड क्लिनिकों में कम्प्यूटर, प्रिंटर, एवं फर्नीचर की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किसी कम्पनी प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मो से टेन्डर दिनांक 15.03.2019 तक आमंत्रित किये जाते हैं। कम्प्यूटर,प्रिंटर एवं फर्नीचर आदि की जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय गाजियाबाद में टेंन्डर दिनांक 15.03.2019 को सांय 4.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त टेंन्डर उसी दिन क्रय समिति के सामने खोले जायेंगे।

टेंन्डर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्राप्त किये जायेंगेः–

1– टेंन्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

2– टेंन्डर देने वाली फर्म द्वारा फर्नीचर, एवं कम्प्यूटर, प्रिंटर का मेक एवं माडल अंकित करना आवश्यक है।

3– सामानों की आपूर्ति, वर्क आर्डर मिलने के तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

4– भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जायेगा। भुगतान के विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।

5– टेंन्डर के साथ अंकन 5000/–रूपये का बैंक ड्राफट/चैक अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के पक्ष में धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना होगा।

6– स्वीकृतकर्ता अधिकारी (अध्यक्ष जिला विधक सेवा प्राधिकरण,) गाजियाबाद को अधिकार होगा कि वह किसी भी टेन्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

7– विस्तृत विवरण कम्प्यूटर,प्रिंटर, कुर्सी,मेज आदि के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

दीपाली सिंह
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतुः–

1– नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी गाजियाबादं।

3– स्थानीय समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाश हेतु।

4– राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ

5– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

दीपाली सिंह
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजियाबाद

Scanned by CamScanner